भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत स्वीकृत
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु
प्रवेश नीति वर्ष 2018–19

(1) परिचय :–

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत, भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरुप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर से सम्बद्ध उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक हिन्दी माध्यम से निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। शिक्षण सत्र 2018–19 से चयनित विद्यार्थियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (CBSE) नई दिल्ली/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, (CGBSE) पाठ्यक्रम अंतर्गत हिन्दी माध्यम में अध्यापन कराया जाना प्रस्तावित है। इन विद्यालयों मे प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मैरिट सूची तैयार की जाती हैं। जिसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(2) योजना के उद्देश्य :–

1. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करना उनका संचालन करना तथा इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु समस्त अनुषांगिक कार्य करना।
2. इन संस्थाओं में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियाँ को बढ़ावा देना।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना ।
4. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

(3).विद्यालयवार स्वीकृत सीट्स :–

निम्नांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में 60 सीट के मान से विद्यार्थियों को चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित कराया जाना है :–

क्र.	संस्था एवं जिले का नाम	कक्षा 6 वीं हेतु स्वीकृत सीट्स		
		बालक	बालिका	योग
1.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, करपावण्ड,जिला–बस्तर	60	–	60
2.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, अंतागढ़,जिला– कांकेर	60	–	60
3.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मैनपाट,जिला–सरगुजा	60	–	60
4.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसाद नगर ,जिला–सूरजपुर	60	–	60
5.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मुढ़पार ,जिला–रायगढ़	60	–	60
6.	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तरेगांव जंगल ,जिला–कबीरधाम	60	–	60
7.	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कटेकल्याण, जिला–दंतेवाड़ा	–	60	60
8.	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना ,जिला–जशपुर	–	60	60
9.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,, पेण्ड्री ,जिला–राजनांदगांव	30	30	60
10.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,, पोड़ीडीह ,जिला–कोरिया	30	30	60
11.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़ ,जिला–बीजापुर	30	30	60
12.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला ,जिला–कोरबा	30	30	60
13.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेसोली ,जिला–बस्तर	30	30	60
14.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नारायणपुर ,जिला–नारायणपुर	30	30	60
15.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मर्दापाल ,जिला–कोंडागांव	30	30	60
16.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मारवाही,जिला– बिलासपुर	30	30	60
17.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गरियाबंद ,जिला–गरियाबंद	30	30	60
18.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नगरी ,जिला–धमतरी	30	30	60

19.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलरामपुर ,जिला–बलरामपुर	30	30	60
20.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकमा ,जिला–सुकमा	30	30	60
21.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डौंडीलोहारा ,जिला–बालोद	30	30	60
22.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलोदा–बाजार, जिला–बलोदाबाजार	30	30	60
23.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,,जिला–महासमुद	30	30	60
24.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला–मुंगली	30	30	60
25.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय,,जिला–जांजगीर–चांपा	30	30	60
	योग	**870**	**630**	**1500**

(4) सीटो का आरक्षण :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिय ह। ।वद्यालय म प्रवेशित सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगाः–

1. अनुसूचित जनजाति के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार, अबूझमाडियां, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा ,पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों को प्राथमिता दी जायेगी ।
2. अुनसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियो हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण होगा । इसके लिये जिले मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. कक्षा 6वीं में स्वीकृत सीट का 05 प्रतिशत स्थानीय समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षित होगा। जिसमें विद्यालय के निर्माण में भूमिदान एवं अन्य विकास कार्य में सहयोग करने वाले परिवार के बच्चों को प्राथमिकता दी जावेगी। चयन का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
4. शेष सीट अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से भरा जायेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति तथा दिव्यांग छात्र नही मिलने पर सीट की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से की जावेगी।

(5) पात्रता :–

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मे प्रवेश हेतु पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. विद्यार्थी की आयु 1 जुलाई 2018 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो।
2. शिक्षण सत्र 2017–18 में आयोजित कक्षा 5वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो अथवा पूर्व वर्ष में कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. प्रवेश हेतु कक्षा 5 वीं में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है ।
4. छ.ग. राज्य का अनुसूचित जनजाति वर्ग का निवासी होना आवश्यक है।

(6) आवेदन पत्र :–

चयन परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निम्न स्थानों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

1. जिलों के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छ.ग.।
2. संबंधित कार्यालय प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छ.ग.।
3. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट–www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

यदि किसी कारणवश आवेदन पत्र की मूलप्रति उपलब्ध नहीं हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन (आवेदन पत्र) को टंकित कराकर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(7) आवेदन पत्र को जमा करना :–

आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर निर्धारित तिथि में संबंधित जिलों के कार्यालय ,सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में **दिनांक 20.03.2018** जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निरंतर..............